PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Wednesday, 29th September 2010, Page: 10
Width: 17.27 cms Height: 13.29 cms, Ref: pmin.2010-09-29.51.51

आम आदमी तक दवा पहुंचाने का यत्न

मुद्दा 51/10

भगवती प्रसाद डोभाल

खबर है कि सरकार दवा क्षेत्र में विदेशी निवेश के नियंत्रण पर विचार कर रही है। इसके लिए वह अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली का कानून बनाने पर विचार कर रही है। इसके माध्यम से दवा की कीमतों पर नियंत्रण सम्भव हो सकेगा। अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली में सरकार तीसरी पार्टी (पेटेंटधारकों से अलग) को, जिसका पेटेंट पर अधिकार नहीं है, भी बाजार में पेटेंट हुई दवाओं के उत्पादन के लिए दवा कम्पनियों को अनुमति देगी। इसमें जिसने दवा को पेटेंट करवाया है और उसको बाजार में बेचने का अधिकार रखता है, उससे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक भारत में इस तरह के लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं। यहां तक कि पेटेंट संशोधन एक्ट के अन्तर्गत भी ऐसा नहीं किया गया है जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, थाइलैंड, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देश अपने यहां अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू कर चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा वाणिज्य मंत्रालय भारतीय पेटेंट एक्ट के तहत संसद में अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं।

आशंका है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारतीय कम्पनियों का अधिग्रहण कर देश में कम कीमत वाली दवाओं के दाम बढ़ा सकती हैं। इसका प्रभाव न केवल देश के आम जन पर पड़ेगा, बल्कि विकासशील देश भी इससे बुरी तरह से प्रभावित होंगे। सरकार सभी संस्थाओं से राय लेना चाहती है। उद्योग नीति एवं प्रगति विभाग डीआईपीपी ने बहस के लिए विचार-पत्र प्रसारित कर अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इसमें पुनरीक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, क्योंकि कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों की दवाएं आम आदमी की जेब से दूर होती जा रही हैं। यदि बहुराष्ट्रीय दवा निर्माता कम्पनियों ने इनका उत्पादन अपने ही हाथों में रखा तो इसकी उपलब्धता आम जन की सीमा से बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 65 प्रतिशत भारतीयों को ये दवाएं महंगी होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, इसलिए भारत सरकार की ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि इन दवाओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में भारतीय कम्पनियां करें ताकि बाजार में सस्ते दामों पर इनकी उपलब्धता बनी रहे।

2006 से 2010 तक अनेक भारतीय दवा कम्पनियों को विदेशी दवा कम्पनियों ने अधिग्रहीत किया है। अगस्त 2006 में मैट्रिक्स लेबोरेट्री कम्पनी को अमेरिकी मूल की माइकल इंक ने अधिग्रहीत किया। इसका मूल्यांकन 73 करोड़, साठ लाख डॉलर का था। अप्रैल 2008 में भारतीय कम्पनी डाबर फार्मा को सिंगापुर की फेसेनिसकवि ने अधिग्रहीत किया। इसकी कीमत 21 करोड़ 90 लाख डॉलर आंकी गयी। जून 2008 में भारतीय कम्पनी रैनबक्सी लैबोरेट्री को जापानी मूल की दलिछसंकिओ ने अधिग्रहीत किया था। इसका मूल्य चार अरब, साठ करोड़ डॉलर था। ऐसे ही जुलाई 2008 में शान्ता बायोटैक को फ्रांस की सनोफिएवेंटिस ने अधिग्रहीत किया था। यह 78 करोड़, तीस लाख डॉलर की थी। दिसम्बर 2009 में भारतीय कम्पनी ओर्किड कैमिकल्स को अमेरिकी कम्पनी हासपिरा ने अधिग्रहीत किया। इसका आंकलन 40 करोड़ डॉलर का था। मई 2010 में भारतीय कम्पनी पिरामिल हेल्थकेयर को अमेरिकी कम्पनी अबोट लैबोरेट्री ने अधिग्रहीत किया।

पिछले दिनों अमेरिका की बहुत सारी दवा कम्पनियों को बाजार में अवैध रूप से अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए दंडित भी किया जा चुका है। हाल में एक और दवा कम्पनी अलर्जन जो बोटाक्स की निर्माता है, ने 60 करोड़ डॉलर का दंड अमेरिकी सरकार को दिया क्योंकि इसने 2000 से 2005 तक अवैध रूप से सिरदर्द की दवा को बाजार में उतारा। अमेरिकी खाद्य एवं दवा विभाग माइग्रेन के उपचार में बोटाक्स पर जांच कर रहा है। बिना जांच पड़ताल के बाजार में इसे बच्चों के दर्द के लिए भी बेचा गया। इस तरह की प्रैक्टिस बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियां अक्सर पूरी दुनिया में कर रही हैं। नैतिकता से इनका कोई लेना देना नहीं। दवा बेचने की होड़ में वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसलिए इन पर नियंत्रण आवश्यक है।

हालांकि समय-समय पर ऐसी दवा कम्पनियां गिरफ्त में आ जाती हैं फिर भी नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकारी एजेंसियों को लालच में न पड़ कर देशहित का भी सोचना चाहिए। आज आप केमिस्ट की दुकान पर खड़े हो पूरी तरह आश्वस्त होकर कोई दवा नहीं खरीद सकते क्योंकि बाजार में नकली दवाओं की भरमार है। हाल में सुनीता नारायण द्वारा शहद में पाये जाने वाले तत्वों का विश्लेषण करवाया गया और कई लोकप्रिय ब्रांड जिन पर जनता अधिक भरोसा करती है, उक्त परीक्षण-प्रक्रिया में खरे नहीं उतरे। यानी हमें दवाओं की खरीद के मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है।

Gmk.

5